न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः— विनय कुमार द्विवेदी
सत्र परीक्षण संख्या—617 / 2021

राज्य प्रति विवेकानन्द वगैरह

आरोप

मैं विनय कुमार द्विवेदी, सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,
आप अभियुक्तगणः—

1. विवेकानन्द, 2. सूरज, पुत्रगण सच्चिदानन्द, 3. देवेश कुमार पुत्र राम आसरे मिश्र, 4. श्री निवास मिश्र पुत्र स्व0 कन्हैया मिश्र
निवासीगण—ग्राम शिवदासीपुर, थाना—सकलडीहा, जनपद—चन्दौली

पर निम्न आरोप लगाता हूंः—

1. यह कि दिनांक 01—07—2020 को समय सुबह करीब 09.00 बजे ग्राम शिवदासीपुर, थाना—सकलडीहा, जनपद—चन्दौली स्थित वादी कृष्णकान्त मिश्र के घर के दरवाजे पर आपलोगों ने जमीनी विवाद को लेकर एक राय होकर इस आशय व ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में वादी कृष्णकान्त मिश्र को साशय लाठी—डण्डा एवं ईट पत्थर से मारपीट कर ऐसी प्राणघातक चोटें पहुंचाई जिससे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध कारित करने के दोषी होते। इस प्रकार आपलोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 308 सपठनीय धारा 34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपलोगों ने एक राय होकर जमीनी विवाद को लेकर वादी कृष्णकान्त मिश्र तथा वादी की भाभी नीलम मिश्र को साशय लाठी—डण्डा एवं ईट पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया गम्भीर चोटें पहुंचाई। इस प्रकार आपलोगों ने भा0द0स0 की धारा 325 सपठनीय धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपलोगों ने जमीनी विवाद को लेकर एक राय होकर वादी कृष्णकान्त मिश्र तथा वादी के पिता सत्येन्द्र कुमार मिश्र, भाभी नीलम मिश्र एवं माता उर्मिला मिश्र को साशय लाठी—डण्डा एवं ईट पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण चोटें पहुंचाई। इस प्रकार आपलोगों ने भा0द0स0 की धारा 323 सपठनीय धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से वादी वगैरह को भद्दी—भद्दी गालीयां दिया। इस प्रकार आपलोगों ने भा0द0स0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5. यह कि उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी वगैरह को जान से मार डालने की आपराधिक धमकी दिया। इस प्रकार आपलोगों ने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपलोगों को आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोपों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विनय कुमार द्विवेदी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

दिनांकः— 24—11—2021

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

(विनय कुमार द्विवेदी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

दिनांकः—24—11—2021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः— विनय कुमार द्विवेदी
सत्र परीक्षण संख्या—617/2021
राज्य प्रति विवेकानन्द वगैरह

24—11—2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण विवेकानन्द, सूरज, देवेश कुमार एवं श्रीनिवास मिश्र पर भा0द0सं0 की दण्डनीय धारा 308 सपठनीय धारा 34, 325 सपठनीय धारा 34, 323 सपठनीय धारा 34, 504 भा0द0सं0 एवं 506 भा0द0सं0 का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तद्नुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

लंच बाद पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण विवेकानन्द, सूरज, देवेश कुमार एवं श्रीनिवास मिश्र पर भा0द0सं0 की दण्डनीय धारा 308 सपठनीय धारा 34, 325 सपठनीय धारा 34, 323 सपठनीय धारा 34, 504 भा0द0सं0 एवं 506 भा0द0सं0 का आरोप लगाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण का दावा किया।

आरोप—पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 15—12—2021 को प्रस्तुत हो।

सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

Digitally signed by VINAI KUMAR DWIVEDI
Date: 2021.11.24 17:14:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court